न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/116/2018

उनवान

1. जगदीश आत्मज लादू जाट निवासी देवरी, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. माधु लाल उर्फ महादेव आत्मज लादू जाट निवासी देवरी, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शाहपुरा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के
प्रकरण संख्या 18/2012 निर्णय दिनांक 23.1.2018

अधिवक्तागण :–

1. श्री अरूण देराश्री , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 21.10.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाथीगण /प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अनवान का वाद पत्र वादीगण प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है। ग्राम बल्दरखा तहसील बनेडा की सरहद में वर्तमान आराजी नम्बर 2085/2028 रकबा 50 बीघा किस्म बंजड जो कि संवत 2042 से 2045

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

के समय सोहन लाल पुत्र तेजू दरोगा निवासी बल्दरखा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा के नाम खतौनी संख्या नई 179 में दर्ज आराजियात प्रार्थीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बिकाव से दिनांक 10 अप्रेल 1985 के द्वारा उक्त आराजियात में से 1/2 हिस्सा सोहन लाल से जगदीश ने क्रय किया एवं 1/2 हिस्सा माधु लाल उर्फ महादेव ने क्रय किया और जरिये इंतकाल संख्या 290 एवं इन्तकाल संख्या 291 के द्वारा प्रार्थीगण के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दिनांक 1 जून 1985 से बल्दरखा की आराजी नम्बर 2085/2028 रकबा 50 बीघा राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज करवा दी गई। तत्पश्चात प्रार्थीगण द्वारा ग्राम बल्दरखा की उक्त आराजी पर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा शाहपुरा के रहन दर्ज करा उक्त आराजियात पर ऋण भी प्राप्त किया । जिसका अंकन जरिये नामान्तरकरण संख्या 295 से राजस्व रेकार्ड में किया गया।

2. संवत 2042 से 2045 के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज आराजियात का आगे जमाबंदी संवत 2046 से 2049 तक के रेकार्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज किया है। उक्त आराजियात पर प्रार्थीगण का बहैसियत मालिक होकर काबिज हो फसल काश्त कर रहे हैं व वक्त खरीद से ही प्रार्थीगण ग्राम बल्दरखा की आराजी संख्या 2085/2028 पर फसल काश्त कर रहे हैं एवं उक्त आराजियात का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं और उक्त आराजियात को काबिल काश्त कर फसल काश्त करवाई जा रही है। जो वर्तमान में भी जारी है।

3. आराजी संख्या 2085/2028 रकबा 50 बीघा किस्म बीड बंजड को एवं ग्राम बल्दरखा की अन्य आराजी को कुल रकबा 368 बीघा 05 बिस्वा जो कि प्रार्थीगण के नाम के साथ–साथ अन्य काश्तकार के नाम पर दर्ज थी , जिसे नामान्तरकरण संख्या 482 द्वारा दिनांक 18 मई 1993 के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

द्वारा बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गई जो कि प्रार्थीगण की खरीदसुदा आराजी एवं कब्जे एवं आधिपत्य व अधिकार के मुकाबले बिलानाम सरकार दर्ज किया गया है। जो कि प्रार्थीगण को सुने बिना राजस्व रेकार्ड में अंकन किया गया है। उक्त अंकन गलत किया गया है जिसे प्रार्थीगण पुनः अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकन कराने की मांग कर सकते है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजियात को अपने नाम पर दर्ज करवाने बाबत पूर्व में विपक्षीगण को काफी निवेदन किया परन्तु प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज नहीं की गई। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व की भॉति वर्तमान समय में भी उक्त आराजी संख्या 2085/2028 रकबा 50 बीघा पर फसल काश्त कर आधिपत्य एवं उपयोग उपभोग में ली जा रही है। लेकिन पटवारी हल्का द्वारा उक्त आराजियात को बिलानाम सरकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने से नाजायज कब्जा बाबत कार्यवाही कर प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकी दी जा रही है।

4. उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज होने व प्रार्थीगण के नाम पर भूमि दर्ज नहीं होने से वादीगण प्रार्थीगण को विपक्षीगण जबरन बेदखल करने पर आमादा है यदि प्रार्थीगण को जबरन बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी व प्रार्थीगण व उसके परिवारजन के भूखे मरने की नौबत पेश आ जायेगी। इस कारण प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जाना आवश्यक है कि विपक्षीगण प्रार्थीगण को सरहदर बल्दरखा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 2085/2028 से जरबन शक्ति के बल पर बेदखल नहीं करें और न ही किसी अन्य से करावे तथा प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करे और न ही किसी अन्य से करावे व किसी अन्य को भूमि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आवंटित नहीं की जावे एवं प्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 91 एल आर एक्ट के तहत कार्यवाही नहीं की जावे।

5. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

6. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा निर्णय की नकल प्राप्ति हेतु दिनांक 6.2.2018 को अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया जिसकी नकल दिनांक 7.3.2018 को तैयार की गई एवं 9.3.2018 को प्राप्त की गई। जिससे वक्त नकल प्राप्त करने की तारीख से अन्दर अवधि अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं का अवलोकन नहीं कर व विस्तारपूर्वक आदेश में उल्लेख किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में अंकित किया है कि " पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध आधार

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

राजस्व अभिलेख, दस्तावेजात अवलोकन/परीक्षण से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी के इस प्रार्थना पत्र व दस्तावेज से यह साबित नहीं होता है कि विक्रेता खातेदार सोहन पिता तेजू दरोगा के नाम वक्त बेचान व सिलिंग अधिनियम के प्रारंभ होने तक कुल कितनी कृषि भूमि दर्ज रेकार्ड थी एवं विवादित आराजियात सोहन पिता तेजू दरोगा द्वारा सिलिंग प्रभावित खातेदार से क्रय की गई थी अथवा विरासत से प्राप्त हुई थी। इसका उल्लेख प्रार्थी द्वारा नही किया गया हैं। जबकि प्रत्यर्थी तहसीलदार बनेडा द्वारा जो मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट जिसे जवाब माना गया है, जो पेश किया गया , जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया कि " जमाबंदी संवत 2042 से 2045 में खातेदार श्री सोहन पिता तेजू दरोगा के नाम पर आराजी नम्बर 2085/2028 रकबा 50 बीघा भूमि दर्ज रेकार्ड थी, वर्ष 1985 में खातेदार सोहन पिता तेजू दरोगा स्वयं ने आराजी नम्बर 2085/2028 रकबा 50 बीघा में से 1/2 हक हिस्सा अपीलार्थी जगदीश व शेष 1/2 हिस्सा माधु उर्फ महादेव पिता लादू जाट को बेचने व जामबदी संवत 2046 से 2049 में खातेदारान अपीलार्थीगण के जमाबंदी रोटेशन में उक्त भूमि दर्ज रेकार्ड होने व उक्त आराजी पर सहकारी भूमि विकास बैंक से लोन लेने व इसकेपचात उक्त भूमि संवत 2046 से 2049 में भूमि सिलिंग अधिग्रहित की गई , जिससे उक्त 50 बीघा भूमि सम्मिलित कर देने व भूमि को बिलानाम दर्ज कर देने से बिलानाम दर्ज होने व मौके पर कब्जा वादीयान अपीलार्थीगण का चला होने बाबत रिपोर्ट पेश की। " जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण की भूमि को गलत तरीके से बिलानाम सरकार दर्ज किया गय है व मौके पर कब्जा भी अपीलार्थीगण का है। अधिनस्थ न्यायालय ने इन महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज कर वाद पत्र व प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों की पुष्टि होते हुए भी अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

को खारिज करने में भारी भूल की है । जिससे भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जिन आधारों पर प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है जो कि वाद पत्र में साक्ष्य से साबित होंगे, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट/जवाब में उक्त भूमि अपीलार्थीगण द्वारा क्रय करना व उनका कब्जा साबित होते हुए भी प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा बिलानाम दर्ज होने से उन्हें बेदखल करने पर अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी अपीलार्थीगण के पक्ष में है तथा इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु तीनों ही बिन्दु अपीलार्थीगण के पक्ष में होते हुए भी उनका विवेचन नहीं कर कानून को ताक में रखकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिससे भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त योग्य है।

11. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का समुचित कारण नहीं दर्शाया है । अतः अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे।

12. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अपीलाधीन निर्णय में अंकित किया है कि प्रार्थीगण के इस प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात से यह साबित नहीं होता है कि विक्रेता खातेदार सोहन पिता तेजू दरोगा के नाम वक्त बेचान व सिलिंग अधिनियम के प्रारंभ होने तक कुल कितनी कृषि भूमि दर्ज रेकार्ड थी एवं विवादित आराजियात सोहन पिता

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

तेजू दरोगा द्वारा सिलिंग प्रभावित खातेदार से क्रय की गई थी अथवा विरासत से प्राप्त हुई थी। इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। विक्रय कर्ता के परिवार का सजरा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। वर्तमान मे वादग्रस्त भूमि बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड है। अतः इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

13. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

14. अपीलार्थीगण का निवेदन है कि अपीलार्थीगण ने वादग्रस्त आराजियात खातेदार सोहन पिता तेजू दरोगा से जरिये रजिस्टर्ड बिकाव से दिनांक 10 अप्रेल 1985 के द्वारा उक्त आराजियात में से 1/2 हिस्सा जगदीश ने क्रय किया एवं 1/2 हिस्सा माधु लाल उर्फ महादेव ने क्रय किया और जरिये इंतकाल संख्या 290 एवं इन्तकाल संख्या 291 के द्वारा प्रार्थीगण के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दिनांक 1 जून 1985 से बल्दरखा की आराजी नम्बर 2085/2028 रकबा 50 बीघा राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज करवा दी गई। तत्पश्चात प्रार्थीगण द्वारा ग्राम बल्दरखा की उक्त आराजी पर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

शाहपुरा के रहन दर्ज करा उक्त आराजियात पर ऋण भी प्राप्त किया । जिसका अंकन जरिये नामान्तरकरण संख्या 295 से राजस्व रेकार्ड में किया गया। आराजी संख्या 2085/2028 रकबा 50 बीघा किस्म बीड बंजड को एवं ग्राम बल्दरखा की अन्य आराजी को कुल रकबा 368 बीघा 05 बिस्वा जो कि प्रार्थीगण के नाम के साथ–साथ अन्य काश्तकार के नाम पर दर्ज थी , जिसे नामान्तरकरण संख्या 482 द्वारा दिनांक 18 मई 1993 के द्वारा बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गई । प्रार्थीगण द्वारा पूर्व की भॉति वर्तमान समय में भी उक्त आराजी संख्या 2085/2028 रकबा 50 बीघा पर फसल काश्त कर आधिपत्य एवं उपयोग उपभोग में ली जा रही है।

15. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए यह माना है कि प्रार्थीगण के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से यह साबित नहीं होता है कि विक्रेता सोहन पिता तेजू दरोगा के नाम वक्त बेचान व सिलिंग अधिनियम के प्रारंभ होने तक कुल कितनी भूमि दर्ज रेकार्ड थी एवं विवादित आराजियात सोहन पिता तेजू दरोगा द्वारा सिलिंग प्रभावित खातेदार से क्रय की गई अथवा विरासत से प्राप्त हुई थी इस का उल्लेख नही किया गया है। प्रार्थी द्वारा सोहन पिता तेजू दरोगा के परिवार का सजरा भी अंकित नहीं किया है। इन सभी बिन्दुओं का निस्तारण मूल वाद के विचारण के दौरान विपक्षीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड के आधार पर होना शेष है।

16. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी खतौनी ग्राम बल्दरखा संवत 2042 से 2045 की प्रमाणित प्रति की फोटो प्रति संलग्न की गई है। यद्यपि प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं है परन्तु उपलब्ध जमाबंदी खतौनी का अवलोकन किया गया । जिसमें वादग्रस्त आराजी नम्बर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2085/2028 रकबा 50 बीघा का सोहन पिता तेजू दरोगा साकिन देह के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। इस जमाबंदी खतौनी में वादग्रस्त आराजी इन्तकाल नम्बर 290 बिकाव से 1/2 हिस्सा जगदीश पिता लादू जाट साकिन दे हके दर्ज करने की स्वीकृति होना एवं इन्तकाल नम्बर 291 विक्रय से सोहन का हिस्सा माधु लाल उर्फ महादेव पिता लादू के नाम दर्ज करने की स्वीकृति का अंकन किया गया है। इस प्रकार यह तथ्य भलीभॉति प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त आराजियात वक्त विक्रय खातेदार सोहन पिता तेजू दरोगा साकिन देह के नाज राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। अपीलार्थीगण ने वादग्रस्त आराजियात तत्कालीन खातेदार से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। अपीलार्थीगण द्वारा खसरा गिरदावरी संवत 2066 से 2069 प्रस्तुत की है जिसमें वादग्रस्त आराजी नम्बर 2085/2028 रकबा 50 बीघा मे से 5 बीघा 5 बिस्वा पर काश्त दर्ज होना अंकित किया गया है। जबकि जमाबंदी खतौनी संवत 2066 से 2069 में वादग्रस्त आराजी नम्बर 2085/2028 रकबा 50 बीघा को बिलानाम काबिल काश्त दर्ज किया गया है।

17. वादग्रस्त आराजी को अपीलार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज होने से बिलानाम दर्ज किये जाने से पूर्व किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जबकि खातेदार की भूमि की किस्म के परिवर्तन किये जाने से पूर्व उसे सुना जाना नितान्त आवश्यक है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में अंकित किया है कि ''प्रार्थीगण के इस प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात से यह साबित नहीं होता है कि विक्रेता खातेदार सोहन पिता तेजू दरोगा के नाम वक्त बेचान व सिलिंग अधिनियम के प्रारंभ होने तक कुल कितनी कृषि भूमि दर्ज रेकार्ड थी एवं विवादित आराजियात सोहन पिता तेजू दरोगा द्वारा सिलिंग प्रभावित खातेदार से क्रय की गई थी अथवा विरासत से प्राप्त हुई थी। इसका कोई

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उल्लेख नहीं किया गया है। विक्रय कर्ता के परिवार का सजरा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।'' सिलिंग अधिनियम लागू होने के समय विक्रेता के पास कितनी भूमि थी एवं उसके परिवार में कितने सदस्य थे अथवा वादग्रस्त भूमि विक्रेता के पास विरासत से आई थी या स्व अर्जित थी इन बिन्दुओं का निस्तारण तो मूल वाद में बाद सुनवाई होना है। अपीलाधीन प्रार्थना पत्र के निस्तारण में तो अधिनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वे प्रकरण में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन कर निर्णय पारित करते। ऐसा विवेचन नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है।

18. वादग्रस्त आराजी नम्बर 2085/2028 रकबा 50 बीघा तत्कालीन खातेदार सोहन पिता तेजू दरोगा से अपीलार्थीगण ने दो भिन्न–भिन्न विक्रय पत्र के द्वारा 1/2, 1/2 भू भाग क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया है। जिसका अंकन राजस्व रेकार्ड जमाबंदी खतौनी ग्राम बल्दरखा संवत 2042 से 2045 की प्रमाणित प्रति की फोटो प्रति से प्रमाणित होता है। वादग्रस्त आराजियात अपीलार्थीगण के नाम दर्ज किये जाने की भी स्वीकृति भी हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजियात को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने से पूर्व अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना नितान्त आवश्यक था। अपीलाधीन मामले में प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलार्थीगण के पक्ष मे है। यदि अपीलार्थीगण को वादग्रस्त आराजियात से बेदखल कर दिया जाता है अथवा वादग्रस्त आराजियात को किसी अन्य को आवंटन किया जाता है तो निश्चित तौर पर अपूर्णीय क्षति अपीलार्थीगण को होना प्रमाणित होता है।

19. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन किये

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बिना एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किये बगैर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

20. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.1.2018 को निरस्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ता फैसला मूल वाद मौजा बल्दरखा तहसील बनेडा की वादग्रस्त आराजी नम्बर 2085/2028 रकबा 50 बीघा से वे प्रार्थीगण को जबरन बेदखल नही करे, अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी नहीं करें एवं न ही वादग्रस्त भूमि का किसी अन्य को आवंटन करें।

21. निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

21/X/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा